...ी क्रम ...ख्या ...तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की ग... कार्रवाई के बारे ... टिप्पणी तारीख स...
1	2	3

अभिलेख उपस्थापित।

आरती देवी, पति-स्व0 अरूण राम, ग्राम-बाबुगांव कोर्रा, थाना-सदर, जिला-हजारीबाग द्वारा अंचल-सदर, ग्राम-कोर्रा, थाना नं0-156, खाता संख्या-49, प्लॉट संख्या-299, रकवा-5.50 डी0 भूमि पम्मी कुमारी, पिता-भुनेश्वर राम, पति-अशोक पासवान, ग्राम-पुरना ईचाक, थाना-ईचाक, जिला-हजारीबाग के नाम भूमि बिक्री करने हेतु आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ। प्राप्त आवेदन के आलोक में परमीशन वाद संख्या 67/2021 प्रारम्भ कर आम इस्तेहार का तामिला कराते हुए विहित प्रपत्र में जाँच प्रतिवेदन की माँग अंचल अधिकारी, सदर से की गई।

अंचल अधिकारी, सदर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि -

क्रेता पम्मी कुमारी एवं विक्रेता आरती देवी अनुसूचित जाति के अन्तर्गत आते हैं तथा एक ही जिला के निवासी हैं। बिक्री की अनुमति के पश्चात् आवेदिका भूमिहीन के श्रेणी में नहीं आयेंगे। आवेदिका को भूमि बेचने का पूर्ण अधिकार है। बिक्री की अनुमति के पश्चात् आवेदिका के पास रकवा लगभग 23.16 डी0 भूमि बचेगी। खतियान के अनुसार भूमि रैयती खाते की है एवं बढ़न दुसाध वगै0 के नाम दर्ज है। भूमि आवेदिका को खतियान से हासिल है। पंजी-II के पृष्ट सं0 91/XX पर स्वयं के नाम जमाबंदी कायम है एवं ऑनलाईन रसीद वर्ष 2020-21 तक निर्गत है। साथ ही लगान रसीद की छायाप्रति भी संलग्न की गयी है।

अंचल अधिकारी, सदर द्वारा भी विक्रेता को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के तहत् प्रश्नगत् भूमि के बिक्री क्रेता को करने की अनुमति हेतु अनुशंसा की गई है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अभिलेख के साथ संलग्न विक्रेता आरती देवी का अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, हजारीबाग द्वारा निर्गत् ऑनलाईन स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र संख्या JHRC/2017/1676782 दिनांक-19.12.2017 एवं अंचल अधिकारी, कटकमसांडी, हजारीबाग द्वारा निर्गत् जाति प्रमाण-पत्र संख्या JHCC/2018/1188259 दिनांक-06.10.2018 और क्रेता पम्मी कुमारी का अंचल अधिकारी, ईचाक, हजारीबाग द्वारा निर्गत् ऑनलाईन स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र संख्या JHLRCO/2021/145972 दिनांक-07.03.2021 एवं अंचल अधिकारी, ईचाक, हजारीबाग द्वारा निर्गत् जाति प्रमाण-पत्र संख्या JHCSC/2021/33471 दिनांक-07.03.2021 के आधार पर तथा अंचल

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3
	अधिकारी, सदर के जाँच प्रतिवेदन के आलोक में छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-सदर, ग्राम-कोर्रा, थाना नं0-156, खाता संख्या-49, प्लॉट संख्या-299, रकवा-5.50 डी0 भूमि को बिक्री करने की अनुमति प्रदान की जाती है। साथ ही अभिलेख की कार्यवाही समाप्त की जाती है।	
	लेखापित एवं संशोधित अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग। अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग।	

Digitally signed by RAKESH RAUSHAN
Date: 2022.01.12 11:43:48 +05:30
Location: 192.168.100.2